

>

Title: Election of 15 Members from Lok Saha to the Committee on Public Undertakings.

श्री जगद्विका पात (दुमरियागंज): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रताव पेश करता हूँ -

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वाया अपेक्षित रीति से 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के तिए सरकारी उपकारी संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के तिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from among themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1<sup>st</sup> May, 2013 and ending on the 30<sup>th</sup> April, 2014."

*The motion was adopted.*

-  
-  
-  
-  
-  
-